न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 22 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. शेरसिंह पुत्र श्री कल्याणसिंह वगै. **बनाम** 1.प्रेमकुमार पुत्र श्री रामबाबू

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वास्ते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री कैलाश एन. सारण प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री वांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की ओर से
3. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04 से 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–21.03.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित विंदुओं को दोहराते हुए बताया कि मौके पर विवादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थीगण काविज है तथा प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 का मौके पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। फिर भी प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 द्वारा जानबूझकर अपीलार्थीगण को पक्षकार बनाये बिना ही गुपचुप तरीके से मौखिक कथनों के आधार पर बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के आलौच्य निर्णय व डिक्री दिनांक 28.12.2020 पारित करवा दिया, जिसकी आड में प्रत्यर्थी संख्या 01 से 03 अपीलार्थीगण की कब्जा काश्त की भूमि को हडप करने व अपीलार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू है। इस कारण अपीलार्थीगण उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां पेश करते हुए बहस में बताया कि अपीलांटगण का अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में वाद विस्तृत विवेचन निर्णय पारित किया गया। अपीलांटगण का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांटगण द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे।

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांटस वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है जिसमें सरकार हित नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया। अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जाता है तो मुझे कोई आपति नहीं होगी।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का हित किसी प्रकार से निहित है इस बावत अपीलांट द्वारा संवत 2070 से 2076 तक अपीलांट के नाम से जारी 91 के नोटिसों की नकले पेश की है। इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होना जाहिर होता है। अपीलाधीन आराजी राजकीय भूमि होने से अपीलांट को अतिक्रमी की हैसियत से न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश की गई जो न्यायोचित नहीं है। अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, न ही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 21.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर